अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

09 14.09.2023	**न्यायालय उपायुक्त, राँची** विविध वाद सं० 01/2021–22 टी० आर० सं० 05/2022–23 डी० सी० टी० आर० सं० 13/2022–23 राज्य द्वारा अनील उरॉव वगैरह बनाम लुकेश महली, पिता स्व० उधो महली, निवासी ग्राम –ब्राम्बे, पोस्ट–ब्राम्बे, थाना–माण्डर, जिला – राँची .... विपक्षी आदेश प्रस्तुत वाद की कार्रवाई विद्वान अपर समाहर्त्ता, रॉची के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के द्वारा मौजा – ब्राम्बे, थाना सं० 100, जिला रॉची के खाता सं० 188, प्लॉट सं० 728, रकबा 0.24 एकड़ भूमि के बावत कायम जमाबन्दी के निरस्तीकरण हेतु बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (एच०) के अन्तर्गत कार्रवाई की अनु ंसा के साथ अग्रसारित प्रस्ताव के आधार पर आरम्भ किया गया है। अनिल उरॉव, गंगई उरॉव, रूगन उरॉव, अजय उरॉव एवं अन्य ग्रामवासी के द्वारा विपक्षी लुकेश महली द्वारा मौजा – ब्राम्बे, थाना सं० 100, जिला रॉची के खाता सं० 188, प्लॉट सं० 728, रकबा 0.24 एकड़ भूमि को जाली हुकुमनामा बनवाकर गैरकानूनी तरीके से हड़पने के संबंध मे दाखिल आवेदन के आलोक मे ॲचल अधिकारी माण्डर के द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आरम्भ की गई। ॲचल अधिकारी माण्डर ने आदेश दिनांक 20.06.2022 के द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक– 2074/रा०, दिनांक– 13.05.2016 एवं पत्रांक– 2861/रा० दिनांक 08.06.2017 के आलोक में मौजा– ब्राम्बे, थाना सं0– 100 खाता सं0– 188, प्लॉट सं०– 728, रकबा 0.20	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	एकड़ पंजी ।। के पृष्ठ सं०– 1/300 पर विपक्षी कृष्णा गोड़ाईत पिता टोपिया गोड़ाईत के नाम पर दर्ज अवैध जमाबन्दी को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 एच० के तहत रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची अग्रसारित कर दिया। अँचल अधिकारी माण्डर के अनुसार हेल्का राजस्व /उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा– ब्राम्बे, खाता सं0– 188, प्लॉट सं0– 728, रकबा 0.24 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान मे गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम दर्ज है तथा पंजी।। के जिल्द संख्या 1 पृष्ट सं0 300 पर कृष्णा गोड़ाइत ग्राम– ब्राम्बे के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम खाली है। जमाबन्दी का आधार दर्ज नहीं है और सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। कायम जमाबन्दी संदेहात्मक है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 1974–75 से वर्ष 2013–14 तक का लगान रसीद निर्गत है। वर्ष 1965 कि उपरान्त जमाबन्दी के स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी है, परन्तु प्रस्तुत मामले मे जमाबन्दी का संधारण सक्षम प्राधिकार अर्थात अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा नहीं की गई है, अतः अवैध है। । राजस्व विभागीय परिपत्र सं0– 914/रा०, दिनांक– 09.12. 1998 में निहित निर्देशानुसार बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किये गये आदेश, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एवं राजस्व कर्मियों की मिलीभगत एवं उनकी संलिप्तता एवं साजिश से कायम अवैध जमाबन्दी को रद्द किया जाना है। अँचलाधिकारी माण्डर के द्वारा अग्रसारित अनुसंशा के आलोक मे उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची ने आदेश दिनांक 22.12.2022 एवं 03.01.2023 क्रमशः के द्वारा मौजा– ब्राम्बे, थाना सं0– 100 खाता सं0– 188, प्लॉट सं०– 728, रकबा 0.20 एकड़ पंजी ।। के पृष्ठ सं०– 1/300 पर विपक्षी कृष्णा गोडाईत पिता टोपिया गोड़ाईत के नाम पर दर्ज अवैध जमाबन्दी को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 एच० के तहत रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अपर समाहर्त्ता रॉंची को अग्रसारित कर दिया।

अपर समाहर्त्ता, रॉंची ने आदेश दिनांक 11.01.2023 के द्वारा मौजा– ब्राम्बे, थाना सं0– 100 खाता सं0– 188, प्लॉट सं०– 728, रकबा 0.20 एकड़ पंजी ।। के पृष्ठ सं०– 1/300 पर विपक्षी कृष्णा गोड़ाईत्त पिता टोपिया गोड़ाईत के नाम पर दर्ज अवैध जमाबन्दी को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 एच० के तहत रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अधोहस्तक्षरी को अग्रसारित कर दिया गया।

अपर समाहर्त्ता के अनुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा लिखित कथन/जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपरोक्त भूमि के रैयतीकरण संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। यथा (1) 1.1.1946 के पूर्व को कोई भी रजिस्टर्ड पट्टा /हुकुमनामा/बन्दोबस्ती परवाना, लगान निर्धारण की प्रति (एम० फॉर्म / रिटर्न की प्रति), 1955–56 से राजस्व लगान रसीद की प्रति इत्यादि प्राप्त नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्णित भूमि की जमाबन्दी विधि सम्मत नहीं है।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – मौजा– ब्राम्बे, थाना सं0– 100 खाता सं0– 188, प्लॉट सं०– 728, रकबा 0.20 एकड़ प्रश्नगत भूमि को जनाब मैनजर साहेब छोटानागपुर राज मोकाम रातुगढ़ परगना खुखरा, थाना वो जिला – रॉंची ने दिनांक 20.03.1945 ई0 को विपक्षी लुकेश महली के दादा कृष्णा गोड़ाईत वल्द टोपिया गोड़ाईत के पक्ष मे रू० 50/– (पचास) रूपये सलामी प्राप्त कर रैयती बन्दोबस्ती कर दिया साथ ही रातु गढ़ रॉंची के महाराजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव के द्वारा इस बावत कबुलियतनामा विपक्षी के दादा कृष्णा गोडाईत के नाम से लिख दिया। उक्त भूमि की जमाबंदी कृष्णा गोड़ाईत वल्द टोपिया गोड़ाईत के नाम से खोली गई एवं वर्ष 1956 ई० तक मालगुजारी प्राप्त करते हुए प्रश्नगत भूमि लगान रसीद निर्गत किया गया। जमींदारी उन्मुलन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा कृष्णा गोडाईत वल्द टोपिया गोडाईत के नाम से पंजी ।। के भाग सं० 1 पृष्ठ सं० 300

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

मे जमाबंदी संधारित करते हुए लगान रसीद निर्गत किया गया, जो अंचल अधिकारी माण्डर के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है। प्रश्नगत भूमि को बंदोबस्ती मे प्राप्त करने के उपरान्त कृष्णा गोडाईत वल्द टोपिया गोड़ाईत उक्त भूमि अजीववन शांतिपूर्वक दखलकार रहे। कृष्णा गोड़ाईत अपने पीछे एकमात्र पुत्र उधो महली छोड़ गये, जो अपने पीछे एकमात्रे पुत्र लुकेश महली (विपक्षी) को छोड़ स्वर्गवास हो गये। वर्त्तमान मे विपक्षी लुकेश महली उक्त भूमि पर दखलकार है तथा वर्ष 2014–15 से लेकर वर्ष 2023–24 तक का लगान का भुगतान ऑन–लाईन मोड से करते हुए लगान रसीद प्राप्त किया है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत भूमि के पश्चिम छोर के लगभग 4 डिसमिल मे दो तल्ला पक्का मकान का निर्माण कराकर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक निवास कर रहे है। ग्रामीणो के द्वारा गलत मंशा से सरकारी योजना के तहत्त प्लॉट नं0 728 में पूरब दिशा मे शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण करवा लिया है, जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है। इसी के बगल में लगभग 2 डिसमिल जमीन पर ग्रामीणों के द्वारा जबरन ग्रामीण सड़क का निर्माण भी करवाया गया है। वर्तमान में विपक्षी लुकेश महली का कुल बन्दोबस्त रकबा 20 डिसमिल भूमि में से केवल 15 डिसमिल भूमि में ही दखल कब्जा है। अनिल उराँव, गंगई उराँव, रूगन उराँव, अजय उराँव अन्य ग्रामीण एवं गाँव के दबंग अपराधी प्रवृति के व्यक्ति जो जमीन दलाली का काम करते है, विपक्षी लुकेश महली से इनलोगों के द्वारा अवैध तरीके से पैसा का मांग किया गया जिसे लुकेश महली ने देने से इन्कार कर दिया तब इनलोगों ने अन्य ग्रामीणों से तथ्य छुपाते हुए सादे कागज में हस्ताक्षर ले लिया एवं गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 07.01.2022 को अंचल कार्यालय माण्डर, राँची में एक आवेदन किया गया है। उनके द्वारा उक्त आवेदन मे वर्णित सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत विविध वाद की कार्यवाही सरकारी भूमि की अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी के निस्तार हेतु बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

(एच०) के अन्तर्गत अग्रसारित अभिलेख के आधार पर आरम्भ किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत विहित प्रक्रिया अपनायें बिना ही अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया गया है।

अतः प्रस्तुत वाद का अभिलेख अंचल अधिकारी को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 मे निहित प्रावधानो के तहत्त इस कार्यालय के पत्रांक–3406 (ii)/ विधि दिनांक 21.10.2022 में दिये गये निदेश के आलोक में विहित प्रक्रिया अपना कर सभी स्तरों पर समुचित एवं विधिसम्मत कार्रवाई करने के उपरान्त ही इस अधिनियम की धारा 4 (एच0) के तहत कार्यवाही हेतु अभिलेख पुनः अग्रसारित करें।

इस आदेश की प्रति अँचल अधिकारी माण्डर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:52:27 -08:00
Location: 192.168.1.4